वायुसेना प्रमुख ने सर्वोच्च स्तर की तैयारी रखने को कहा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 25 जून।

वायु सेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ गतिरोध की स्थिति में तुरत-फुरत सक्रियता दिखाने के लिए पश्चिमी वायु कमान (डब्ल्यूएसी) की सराहना की और उसे सर्वोच्च स्तर की अभियान संबंधी तैयारियां रखने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

वायु सेना प्रमुख डब्ल्यूएसी के शीर्ष कमांडरों के दो दिनी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यह कमान संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र में और उत्तर भारत के अन्य अनेक हिस्सों में देश के वायु क्षेत्र की सुरक्षा संभालती है। एअर चीफ मार्शल भदौरिया ने कमांडरों को निर्देश दिया कि सभी प्लेटफॉर्म, शस्त्र प्रणालियों और परिसंपत्तियों को अभियानों के लिए सर्वोच्च स्तर पर तैयार रखा जाए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। शुक्रवार को समाप्त हुए विचार-विमर्श के दौरान कमांडरों ने उत्तरी सीमा पर देश के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। वायु सेना प्रमुख ने अपने बयान में उभरते सुरक्षा परिदृश्य का व्यापक विश्लेषण करने, अभियान संबंधी तैयारियों को बढ़ाने तथा मजबूत भौतिक एवं साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार करने की जरूरत बताई।

वायु सेना ने एक बयान में कहा, 'वायु सेना प्रमुख ने महामारी की अड़चनों के बावजूद हमारे उत्तरी सीमांत क्षेत्रों में हालिया गतिरोध की स्थिति में डब्ल्यूएसी में सभी केंद्रों द्वारा दर्शाई गई उच्च प्रतिबद्धता तथा त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की।'

पिछले साल पूर्वी लद्दाख में तनाव बढ़ने के बाद से भारतीय वायु सेना ने सुखोई 30 एमकेआई, जगुआर तथा मिराज 2000 जैसे अपने अग्रिम पंक्ति के लगभग सभी लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया था। उसके साथ ही पूर्वी लद्दाख तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर प्रमुख वायु सेना केंद्रों में हमलावर हेलिकॉप्टर भी तैनात किए गए।

गठबंधन का नेतृत्व सामूहिक होना चाहिए : पवार

पुणे, 25 जून (भाषा)।

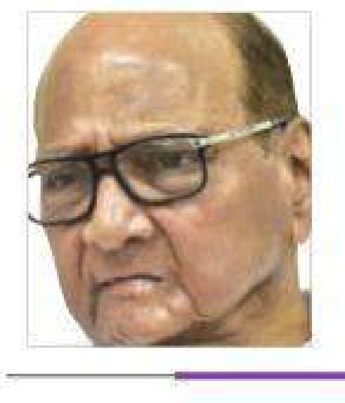

कहा, आठ विपक्षी दलों की बैठक का उद्देश्य राष्ट्रीय गठबंधन बनाना नहीं था

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को दावा किया कि इस हफ्ते की शुरुआत में आठ विपक्षी दलों की, जो बैठक उनकी मेजबानी में हुई थी, उसका विषय राष्ट्रीय गठबंधन बनाना नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ऐसा कोई गठबंधन बनता भी है, तो उसका नेतृत्व 'सामूहिक' होना चाहिए।

पवार ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मंगलवार को उनके दिल्ली आवास पर जो बैठक हुई उसका उद्देश्य इस विषय पर चर्चा करना था कि किसानों के आंदोलन को वे किस तरह से समर्थन दे सकते हैं। उक्त बैठक में कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं हुआ था। ऐसी अटकलें थीं कि बैठक का एजंडा संभावित गठबंधन पर चर्चा करना था, जो भाजपा का विकल्प बन सके।

पवार ने कहा कि अभी दिल्ली की सीमाओं पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन राजनीतिक नहीं है हालांकि हमने सोचा कि चूंकि यह कृषि से संबंधित है तो हम उन्हें किस तरीके से समर्थन दे सकते हैं। इसका उद्देश्य एक साथ आकर यह विचार विमर्श करना था कि हम संसद में मुद्दे को उठाकर और केंद्र को सुझाव देकर किसानों की किस तरह मदद कर सकते हैं। राकांपा प्रमुख ने बताया कि यह सोचा गया कि श्वेत पत्र लाया जाए और कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाए। जब उनसे पूछा गया कि भाजपा के खिलाफ भविष्य में बनने वाले किसी भी गठबंधन का क्या स्वरूप होगा और उसमें कांग्रेस का क्या स्थान होगा तो इस पर पवार ने कहा कि इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि मेरा विचार है कि यदि कोई वैकल्पिक गठबंधन बनता है, तो कांग्रेस को साथ लेना होगा। मैंने बैठक में भी यही बात कही। ऐसा गठबंधन, जिसका कि कांग्रेस हिस्सा होगी, उसके प्रधानमंत्री पद के चेहरे के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने दोहराया कि इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। पवार ने कहा कि लेकिन मेरा विचार है कि नेतृत्व सामूहिक होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए ही हमें आगे बढ़ना होगा। ऐसे गठबंधन की अगुआई उनके द्वारा किए जाने की चर्चाओं के बारे में पवार ने कहा कि शरद पवार कई वर्षों से यह करते आए हैं लेकिन अब मेरी भूमिका मदद करने की, मार्गदर्शन देने और सभी को एकजुट रखने के लिए प्रयास करने की होगी।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

कार्यालय उपायुक्त (एल एंड ई)
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर (सातवीं मंजिल), जवाहरलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष संख्या 011-2322-5710

निविदा सूचना

आयुक्त, एसडीएमसी की ओर से ई-निविदा सूचना संख्या एसओ/एल एंड ई/निविदा-02/2021-22/एसडीएमसी/एनआईटी/डी-102 दिनांक 25.06.2021 के माध्यम से एसडीएमसी की दुकानों/संपत्तियों/सार्वजनिक परिसर के संबंध में लाइसेंस के आवंटन के लिए 10 वर्षों की अवधि हेतु लाइसेंस शुल्क के आधार पर निविदा आमंत्रित की जाती है जिसे एसडीएमसी की संतुष्टि के अधीन अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। ई-निविदा दस्तावेज और ऑनलाइन भागीदारी और अन्य आवश्यक विवरण के मानदंड के लिए दिनांक **28.06.2021** को या उससे पहले नगर निगम की वेबसाइट **www.mcdonline.nic.in** और **www.etenders.gov.in** पर उपलब्ध होंगे। प्री-बिड मीटिंग की तिथि **07.07.2021** को 15:00 बजे है, ऑनलाइन बोली में भाग लेने/जमा करने की अंतिम तिथि **19.07.2021** को 15:00 बजे तक है।
RO No.: 24/DPI/S/2021-22

बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda

शाखा कार्यालयः एफएफ-9, मंगल बाजार रोड, एडेना, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

कब्जा सूचना

नियम 8(1) के अधीन सुरक्षित ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 3.4.2021 जारी कर ऋणधारक श्री दीलिप कुमार, पुत्र श्री छोटेलाल एवं श्रीमती सुनीता, पत्नी श्री दीलिप कुमार को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 17,80,698.79 (रुपये सत्रह लाख अस्सी हजार छः सौ अन्ठानवे एवं पैसे उन्यासी मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 22 जून, 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 17,80,698.79 (रुपये सत्रह लाख अस्सी हजार छः सौ अन्ठानवे एवं पैसे उन्यासी मात्र) तथा उस पर ब्याज, लागत तथा अन्य खर्चे के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

सम्पत्ति का विवरण

प्रापर्टी नं. सी-3 के भाग में 3रे तल, प्लॉट नं. 12, खसरा नं. 298/1, आबादी लाल डोरा, ग्राम गोंदपुर, तहसील मेहरौली, दिल्ली, माप 48.77 वर्ग मी. में स्थित सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।
चौहद्दीः उत्तरः टाइटल डीड के अनुसार; दक्षिणः टाइटल डीड के अनुसार
पूर्वः टाइटल डीड के अनुसार; पश्चिमः टाइटल डीड के अनुसार

तिथिः 22.06.2021
स्थानः नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा

रीता फाइनांस एंड लीजिंग लिमिटेड
(पूर्व में रीता होल्डिंग्स लिमिटेड)

पंजी. कार्यालयः 324ए, III रा तल, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
ईमेलः ritaholdingsltd@gmail.com वेबसाईटः www.ritaholdings.in
टेलीः 011-45689444, CIN:L67120DL1981PLC11741

31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अंकेक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों के विवरण का सार

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.3.2021 (अंकेक्षित)	तिथि तक के वर्ष पूर्व के आंकड़े 31.3.2021 (अंकेक्षित)	पूर्व वर्ष 31.3.2020 में समाप्त तत्स्थानीय 3 महीने (अंकेक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	29.69	151.47	8.09
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	29.32	85.71	(6.54)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	29.32	85.71	(6.54)
4.	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	40.59	72.38	(8.21)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	100.04	115.00	6.94
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	1000.00	1000.00	350.00
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	150.70	150.70	182.18
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)			
	क) मूलः	0.41	1.07	(0.23)
	ख) तरलः	0.41	1.07	(0.23)

नोटः
1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई अंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। अंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bse-india.com, www.msei.in) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.ritaholdings.in) पर उपलब्ध है।
2. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 24 जून, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये गये।
3. वित्तीय परिणामों को इंड-एएस नियमावली (यथा-संशोधित) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) के अनुसार तैयार किया गया है।

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से
रीता फाइनांस एंड लीजिंग लिमिटेड
(पूर्व में रीता होल्डिंग्स लिमिटेड)
हस्ता./-
किरन मित्तल (निदेशक)
DIN: 00749457
तिथि : 24.6.2021
स्थान : नई दिल्ली

हीरो फिन कॉर्प लिमिटेड
Hero FinCorp.

CIN: U74899DL1991PLC46774
पंजी. कार्यालय : 34, कम्युनिटी सेन्टर, बसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली-110057
फोनः 011-49487150, फैक्सः 011-49487197, 011-49487198
ई-मेलः litigation@herofincorp.com । वेबसाइटः www.herofincorp.com

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

एतद्द्वारा अधोलिखित को यह सूचना सर्व की जाती है:
1. मैसर्स पॉवर कॉर्पोरेशन (कर्जदार), कार्यालयः 306, सिटी सेंटर, एस.सी. रोड, जयपुर, राजस्थान-302001 तथा प्लॉट सं 21, तीर्थ नगर सोडाला, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर-302001।
2. श्री विजय उप्पल (जमानती) निवासीः 21, तीर्थ नगर सोडाला, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर-302001
3. श्री शुभम चौधरी (जमानती) निवासीः बी-19, केन्द्रीय विहार, सेक्टर 6, निम्धाधर नगर, जयपुर-302033 (राजस्थान)
4. सुश्री सरला चौधरी (जमानती) निवासीः बी-19, केन्द्रीय विहार, सेक्टर 6, निम्धाधर नगर, जयपुर-302033 (राजस्थान)
(इसके पश्चात "कर्जदार" संदर्भित)

ऊपर वर्णित ऋणधारक ने एचएफसीएल के पक्ष में अधोलिखित अचल सम्पत्ति को गिरवी रख कर एचएफसीएल से रु. 89,38,500/- (रुपए नवासी लाख अड़तीस हजार पांच सौ मात्र) राशि की सावधि सुविधा प्राप्त करने के लिए थी। हीरो फिन कॉर्प लिमिटेड (यहां के बाद "एचएफसीएल" वर्णित) जिसका पंजीकृत कार्यालय 34, कम्युनिटी सेन्टर, बसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली-110057 में है, के साथ 31.07.2019 को सुविधा अनुबन्ध तथा एतद्संबंध में अनुबंध किया था।

(क) प्लॉट नं. बी-234 तथा बी-233, मंगलम विहार, सीकर रोड, जयपुर पर भूमि का सम्पूर्ण भाग तथा उस पर स्थित संरचना और सीमाएं निम्नलिखित हैं:
पूर्व की ओर बी-223 एवं बी-224
पश्चिम की ओर 40 फीट रोड
उत्तर की ओर बी-235
दक्षिण की ओर बी-232
(ख) प्लॉट नं. बी-2763, मंगलम विहार, सीकर रोड, जयपुर पर भूमि का सम्पूर्ण भाग तथा उस पर स्थित संरचना और सीमाएं निम्नलिखित हैं:
पूर्व की ओर बी-277
पश्चिम की ओर बी-275
उत्तर की ओर 30 फीट सड़क
दक्षिण की ओर बी-273

उपरोक्त अचल सम्पत्ति को यहां के बाद "प्रतिभूत परिसम्पत्ति" कहा जाएगा। प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ ऋण के उपयुक्त पुनर्भुगतान को प्रतिभूत करने के लिए प्रतिभूति के रूप में एचएफसीएल के पास मार्टगेज किया गया है। लेकिन, ऋणधारक ने ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ ऋण के नियत पुनर्भुगतान में चूक की है इसलिए वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद "सरफैसी अधिनियम, 2002" के रूप में वर्णित) के अनुसार दि. 01.05.2021 से अर्थात एचएफसीएल द्वारा उपरोक्त ऋणधारक के खाते को अनर्जक परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन यह सूचना अनडेलिवर्ड रही है।

इस प्रकाशन के द्वारा एक बार पुनः एचएफसीएल उपर्युक्त कर्जदारों को निर्देश देता है कि इस सूचना के प्रकाशन के साठ (60) दिनों के भीतर दि. 22.05.2021 को देय रु. 79,44,990.67/- (रुपये उन्यासी लाख चौवालीस हजार नौ सौ नब्बे एवं सड़सठ पैसे मात्र) की सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान करें अन्यथा एचएफसीएल सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रतिभूत परिसम्पत्ति का कब्जा लेने सहित प्रतिभूति हित प्रवर्तन के अंतर्गत उपलब्ध अन्य कोई कार्रवाई अथवा रहत सहित प्रतिभूत परिसम्पत्ति के विरुद्ध सरफैसी अधिनियम, 2002 के तत्वावधान में किसी भी एचएफसीएल प्राधिकार उपयुक्त अन्य कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।

पुनः सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के प्रावधानों के अनुसार एतद्द्वारा ऋणधारक, मार्टगेजर तथा सह-ऋणधारकों को यहां भी रोका जाता है कि वे किसी भी रूप में एचएफसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रतिभूत परिसम्पत्ति का बिक्री/पट्टा या अन्यथा द्वारा बिक्री/अंतरण अथवा व्यवहार नहीं करें तथा ऐसा करना सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

अतः आम जनता को भी सूचित किया जाता है कि वे किसी भी रूप में उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति का व्यवसाय न करें क्योंकि एचएफसीएल का उस पर प्रथम तथा एक्सक्लूसिव प्रभार विद्यमान है।

तिथिः 26.06.2021
स्थानः जयपुर
ह./-
प्राधिकृत अधिकारी
हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

सामान्य सेवाएं प्रशासन प्रभाग, प्लॉट सं. 4, सेक्टर 10, द्वारका 110075

निविदा सूचना

बैंक वाहनों के निपटान हेतु सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र0 सं0	मात्रा (संख्या)	के नाम पर पंजीकृत
1	10	पंजाब नैशनल बैंक

अधिक जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर जाएं। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 17.07.2021 को 15.00 बजे तक है। कोई भी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट वेबसाइट पर लोड किया जाएगा। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से हमारी वेबसाइट देखें।
मुख्य प्रबंधक-जीएसडी

बिक्री/एसाइनमेन्ट के लिए परिसम्पत्ति
अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण
एलायन्स ल्युमिनियर लिमिटेड (परिसमापन में)
(CIN: U45400DL2007PLC169519)

एलायन्स ल्युमिनियर लिमिटेड (परिसमापन में) के मामले में "जैसा है जहां है आधार", "जो भी जैसा है आधार", "जो कुछ भी वहां है आधार" तथा "उपचार-रहित आधार" पर निम्नलिखित की बिक्री/एसाइनमेन्ट के लिए प्रस्ताव आमंत्रित:
1. शेयरधारकों से अप्रदत्त कॉल मनी
2. जीएसटी तथा आय कर विभाग से वसूली योग्य राशि
इच्छुक पार्टी अधिकतम 2 जुलाई, 2021 तक अधोहस्ताक्षरी के पास अपना प्रस्ताव जमा कर सकते हैं। विवरणों के लिए सम्पर्क करें: सीए, अनिल भाटिया, मो. नं. + 91 9899224476, ईमेल आईडी: alliance.ibc12@gmail.com
हस्ता./-
अनिल भाटिया, परिसमापक
IBBI पंजी सं. IBBI/IPA-001/IP-P00587/2017-18/11027
पंजीकृत पताः एस-34 एलजीएफ, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048 तिथिः 25.6.2021
पंजी. ईमेलः anilbhatia815@gmail.com स्थानः नई दिल्ली

रेजीमेन्टल दुकानों (लेडिज टेलर, ब्यूटी पार्लर एवं टी शॉप) के आबंटन के लिए आवेदनः कैमरों, सुब्रोतो पार्क

1. सुब्रोतो पार्क कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली में रेजीमेन्टल दुकानों को चलाने के लिए एयर अफसर कमांडिंग, वायु सेना केन्द्रीय लेखा कार्यालय, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली-10 द्वारा ड्यूटी पर शहीद सैनिकों की विधवाओं, अपंग सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों की पत्नियों/विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं अन्य सामान्य नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। संबंधित दुकानों का विवरण निम्नलिखित हैः-
(क) गंगा शॉपिंग कॉम्पलेक्स में लेडिज टेलर
(ख) संगम शॉपिंग कॉम्पलेक्स में ब्यूटी पार्लर
(ग) सुविधा कॉम्पलेक्स में टी शॉप
2. उपयुक्त नियम एवं शर्तें आवेदन पत्र में दिए गए हैं।
3. आवेदन पत्र सर्विस इंस्टीच्यूट कार्यालय, वायु सेना केन्द्रीय लेखा कार्यालय, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली-10 (टेलीफोन नंबर 011-25690477) में दिनांक 28 जून 2021 से शनिवार, रविवार एवं सरकारी छुट्टियों के दिनों को छोड़कर अन्य सभी कार्यदिवसों में प्रातः 08 बजे से दोपहर 02 बजे तक रुपए 500/- प्रति आवेदन पत्र की दर से प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे गये आवेदनपत्रों को रुपए 5000/- (रु. पांच हजार) बयाना राशि के साथ सर्विस इंस्टीच्यूट कार्यालय में दिनांक 12 जुलाई 2021 दोपहर 02 बजे तक जमा करें। बयाना राशि को **'ओ.आई.सीएसआई फण्ड'** के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करें।

बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
हमदर्द दवाखाना शाखा
परिशिष्ट-IV [नियम-8(1)]

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **बैंक ऑफ इंडिया** की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक **10.09.2020** को एक माँग नोटिस जारी करके ऋणी **श्री श्री पाल सिन्ह और श्रीमती मधुलिका चौहान** को नोटिस में वर्णित बकाया राशि **रू. 87,39,674.01/- (रुपये सत्तासी लाख उन्तालिस हजार छः सौ चौहत्तर और एक पैसा मात्र)** का भुगतान उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी, गारन्टर और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 4 के तहत, सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नियमों के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा दिनांक **22 जून, 2021** को ले लिया है।

ऋणी/गारन्टर को विशेष रूप से एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्ति से सम्बन्धित कोई लेन देन न करें तथा संपत्ति में किया गया कोई भी लेन-देन **बैंक ऑफ इंडिया** के बकाया राशि **रू. 87,11,518.00/-** व ब्याज के अधीन होगा।

अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधान के तहत, सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में ऋणी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्तियों/चल संपत्तियों का विवरण

श्री पाल सिंह और **श्रीमती मधुलिका चौहान** के नाम पर **फ्लैट नंबर 1037, दूसरी मंजिल, रजनीगंधा सहकारी समूह हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली -110075** सहित संपत्ति का सभी भाग व अंश जिसमें **उप-जिला उप पंजीयक VII, द्वारका** और **जिला नई दिल्ली**
चौहद्दीः
उत्तर में : सोसाईटी रोड, दक्षिण में : गलियारा और सीढ़ियां
पूर्व में : खुला क्षेत्र, पश्चिम में : फ्लैट नंबर 1038

स्थानः दिल्ली (मुख्य प्रबंधक): बैंक ऑफ इंडिया
दिनांकः 22.06.2020 हमदर्द दवाखाना

बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
हमदर्द दवाखाना शाखा
परिशिष्ट-IV [नियम-8(1)]

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **बैंक ऑफ इंडिया** की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक **11.02.2021** को एक माँग नोटिस जारी करके ऋणी **श्री संजय तिवारी** को नोटिस में वर्णित बकाया राशि **रू. 13,81,962.00/- (रुपये तेरह लाख इक्यासी हजार नौ सौ बासठ मात्र)** का भुगतान उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी, गारन्टर और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 4 के तहत, सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नियमों के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा दिनांक **22 जून, 2021** को ले लिया है।

ऋणी/गारन्टर को विशेष रूप से एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्ति से सम्बन्धित कोई लेन देन न करें तथा संपत्ति में किया गया कोई भी लेन-देन **बैंक ऑफ इंडिया** के बकाया राशि **रू. 13,76,062.00/-** व ब्याज के अधीन होगा।

अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधान के तहत, सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में ऋणी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्तियों/चल संपत्तियों का विवरण

श्री संजय तिवारी के नाम पर **मकान नं. 248, द्वितीय तल, ब्लॉक ए, सेक्टर 2, रोहिणी, नई दिल्ली -110085** सहित संपत्ति का सभी भाग व अंश जिसमें **पंजीकरण उप-जिला उप पंजीयक VI, रोहिणी सेक्टर 2 और जिला नई दिल्ली।**
चौहद्दीः
उत्तर में : संपत्ति सं. 247, दक्षिण में : संपत्ति सं. 245
पूर्व में : संपत्ति सं. 228, पश्चिम में : संपत्ति सं. 249 व खुला

स्थानः दिल्ली (मुख्य प्रबंधक): बैंक ऑफ इंडिया
दिनांकः 22.06.2020 हमदर्द दवाखाना

छात्रों की योग्यता का ध्यान रखा जाएगा : निशंक

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम
वैकल्पिक परीक्षा का मौका भी मिलेगा

नई दिल्ली, 25 जून (भाषा)।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के संबंध छात्रों की आशंकाओं को दूर करने का प्रयास करते हुए शुक्रवार को कहा कि विद्यार्थियों की योग्यता का पूरा ध्यान रखा जाएगा, साथ ही छात्रों की इच्छा के अनुरूप उन्हें परीक्षा देने का मौका भी दिया जाएगा जो अगस्त महीने में हो सकता है ।

सोशल मीडिया पर छात्रों को संबोधित करते हुए निशंक ने कहा कि उन्हें छात्रों के ढेर सारे संदेश व सूचनाएं लगातार मिल रहे हैं। उनमें छात्रों के सवाल व कुछ आशंकाएं भी थीं। लेकिन अस्पताल में चल रहे अपने उपचार के कारण वे संवाद नहीं कर पा रहे थे ।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 करोड़ छात्र छात्राओं से विशेष लगाव है और छात्रों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने छात्रों से कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस संबंध में व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं और वे सभी को प्राप्त हो चुके होंगे।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऐसी पद्धति तैयार की है जिसमें सभी छात्रों की योग्यता व प्रखरता के अनुरूप परिणाम प्राप्त होगा । उच्चतम न्यायालय ने भी बोर्ड के पूरे प्रस्ताव का समर्थन किया है। निशंक ने कहा, ' इसके बावजूद भी कई लोगों के मन में कई सवाल हैं। जिनके मन में अभी भी आशंकाएं हैं, उन्हें मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो इस मूल्यांकन पद्धति से संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए वैकल्पिक परीक्षा कराने को तैयार हैं।' उन्होंने कहा, ' अगर किसी छात्र को लगता है कि परिणाम उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं है तो हम उन्हें परीक्षा का मौका देंगे । परिस्थिति के अनुरूप उनके लिए अगस्त में परीक्षा कराएंगे।' केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य व भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है ।

गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के कारण सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द कर दिया था। बोर्ड ने परीक्षा परिणाम के संबंध में इन दोनों कक्षाओं के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन नीति की घोषणा की है। स्कूलों से 10वीं कक्षा के अंक 30 जून तक जमा करने को कहा गया है जबकि 12वीं कक्षा के लिए स्कूलों को 15 जुलाई की समयसीमा दी गई है।

सीबीएसई दसवीं कक्षा, 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के परिणामों के आधार पर 12वीं कक्षा के छात्रों के अंक मूल्यांकन में क्रमशः 30:30:40 के फार्मूले पर काम कर रहा है।

गलत तथ्यों पर आधारित खबर को लेकर चार लोगों पर मामला

बाराबंकी (उप्र), 25 जून (भाषा)।

बाराबंकी जिले के रामसनेहीघाट तहसील में मस्जिद ढहाए जाने के मामले में एक समाचार पोर्टल द्वारा कथित रूप से गलत एवं निराधार तथ्यों पर आधारित खबर प्रसारित किए जाने के आरोप में समाचार पोर्टल के दो कर्मचारियों सहित चार लोगों के खिलाफ बाराबंकी पुलिस ने मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने शुक्रवार को दावा किया कि रामसनेहीघाट तहसील परिसर से संबंधित एक वीडियो 23 जून को एक समाचार पोर्टल ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया था जिसमें दिखाए गए तथ्य निराधार और असत्य थे। उन्होंने आरोप लगाया कि खबर को सनसनीखेज बना कर भ्रामक एवं असत्य बातों को फैला कर समाज में वैमनस्यता एवं धार्मिक उन्माद फैलाने तथा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश के आरोप में गुरुवार की रात मामला दर्ज किया गया है।

कोतवाली प्रभारी सच्चिदानंद राय ने बताया इस मामले में पोर्टल के दो कर्मचारियों तथा दो अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

फार्म नं. 3 [विनियमन देखें- 15 (1)(a)] / 16(3)]
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 3)
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001
Case No.: OA/92/2020
ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत समन। Exh. No.: 2340
बैंक ऑफ महाराष्ट्र विरुद्ध **नवनीत मल्होत्रा एवं अन्य**
To, 1. मैसर्स रुद्र बिल्डवेल कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय- डी-53, ओखला, फेज-I, दिल्ली।

समन्स

जबकि, OA/92/2020 को माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 18/06/2021 को सूचीबद्ध किया गया था।
जबकि यह माननीय अधिकरण ने आपके खिलाफ रुपये 2513220/- ऋण की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 19(4) के तहत उक्त आवेदन पर समन/नोटिस जारी किया है (दस्तावेजों की प्रतियों के साथ आवेदन पत्र)।
अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार, आप, प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:-(1) समन की तामील के तीस दिनों के भीतर कारण बताने के लिए कि प्रार्थना की गई राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए; (2) मूल आवेदन के क्रमांक नंबर 3ए के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट संपत्तियों और संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों या आस्तियों के विवरण का खुलासा करना; (3) आपको संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निपटान के लंबित रहने तक, मूल आवेदन के क्रमांक नंबर 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभूत संपत्ति या ऐसी अन्य संपत्तियों और आस्तियों से निपटने या निपटाने से रोका गया है; (4) आप बिक्री, पट्टे या अन्य के माध्यम से, उसके व्यवसाय के सामान्य क्रम को छोड़कर, किसी भी संपत्ति को छोड़कर, जिस पर प्रतिभूत हित बनाया गया है और/या अन्य संपत्ति और आस्तियां जो ट्रिब्यूनल के पूर्व अनुमोदन के बिना मूल आवेदन क्रम संख्या 3 ए के तहत निर्दिष्ट या प्रकट की गई हैं; (5) आप व्यापार के सामान्य क्रम में प्रतिभूत संपत्तियों या अन्य संपत्तियों और आस्तियों की बिक्री से प्राप्त आय के लिए जिम्मेदार होंगे और इस तरह की बिक्री की आय बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास रखे गए खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
आपको, आवेदक को उसकी एक प्रति के साथ लिखित विवरण दाखिल करने और 30/07/2021 को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आपकी अनुपस्थिति में आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।
चल रही महामारी की स्थिति के कारण, सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उद्देश्य के लिए लिया जाएगा:- 1. सभी एडवोकेट्स/वादियों को "Cisco Webex" एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। 2. रजिस्ट्रार/वसूली अधिकारी-I/ और वसूली अधिकारी-II द्वारा की जाने वाली सुनवाई के मामलों की अगली तारीख के लिए "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड" डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल अर्थात् "drt.gov.in" पर सार्वजनिक सूचना प्रमुख के अन्तर्गत अगली तारीख से एक दिन पहले उपलब्ध होगी। 3. किसी भी आवश्यकता हेतु एडवोकेट्स/वादियों संबंधित अधिकारी से फोन नं. 23748469 पर संपर्क कर सकते हैं।
मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मुहर द्वारा दिनांक 19.06.2021 को दिया गया।
सम्मन जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर।

तूतीकोरिन में स्टरलाइट विरोधी प्रदर्शन मामले में हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

क्या हम पैसे फेंक कर कह सकते हैं कि हमारा काम खत्म हो गया

मदुरै/चेन्नई, 25 जून (भाषा)।

मद्रास हाई कोर्ट ने तूतीकोरिन में मई 2018 में हुई पुलिस गोलीबारी को लेकर शुक्रवार को कड़ी टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या हम लोगों को मार सकते हैं, उन पर पैसे फेंक सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारा काम खत्म हो गया है। क्या यही वह समाज है जिसे हम बनाना चाहते हैं। तूतीकोरिन में हिंसक स्टरलाइट विरोधी आंदोलन के दौरान 13 लोगों की मौत हो गई थी।

एक कार्यकर्ता हेनरी तीफाग्ने की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने ये सवाल उठाए। पीठ के अन्य सदस्य न्यायमूर्ति टीएस शिवगनम हैं। पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को पुलिस गोलीबारी में अपनी 'अघोषित' जांच रिपोर्ट की एक प्रति भेजने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश ने प्रदूषण चिंताओं पर वेदांता कॉपर स्मेल्टर संयंत्र बंद करने की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन में मारे गए पीड़ितों के परिजनों के लिए घोषित अनुग्रह राशि का जिक्र करते हुए कहा कि क्या केवल प्रभावित लोगों पर पैसे फेंक कर मामले को रफा-दफा करना संभव है? मुख्य न्यायाधीश बनर्जी ने कहा कि यह कुछ हद तक चिंताजनक है कि राज्य अपनी पुलिस के माध्यम से निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रहा है और तीन साल बाद भी किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है। यह संवैधानिक सिद्धांतों द्वारा शासित नागरिक समाज के लिए अच्छा नहीं हो सकता है कि हमें केवल परिवारों पर पैसा फेंकना है।

इंदौर और सूरत को मिलेगा 'स्मार्ट सिटी' पुरस्कार, राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश अग्रणी

नई दिल्ली, 25 जून (भाषा)।

इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के 'स्मार्ट सिटीज' पुरस्कार, 2020 का विजेता घोषित किया गया जबकि उत्तर प्रदेश राज्य पुरस्कार श्रेणी में अग्रणी रहा। मध्य प्रदेश एवं तमिलनाडु इस बार उत्तर प्रदेश से पिछड़ गए।

ये पुरस्कार सामाजिक पहलू, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, वातावरण, पानी एवं शहरी परिवहन जैसे विषयों के आधार पर दिए गए हैं। वर्ष 2019 में स्मार्ट सिटीज में सूरत एकमात्र विजेता था। यह पहली बार हुआ है कि राज्यों को भी स्मार्ट सिटी के संपूर्ण प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार दिया गया है। मंत्रालय ने कोविड नवोन्मेष श्रेणी के तहत कल्याण डोंबिवली और वाराणसी को संयुक्त विजेता घोषित किया है। ये पुरस्कार स्मार्ट सिटीज मिशन, अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और प्रधानमंत्री आवास योजना की छठी वर्षगांठ के मौके पर घोषित किए गए हैं।

चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेशों में अव्वल रहा है जबकि इंदौर ने 'नवोन्मेष विचार पुरस्कार' जीता है। मंत्रालय के अनुसार अहमदाबाद ने 'स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड' प्राप्त किया है, वाराणसी क्रमशः दूसरे और रांची तीसरे स्थान पर रहे।

HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED
CIN:L74899DL1988PL031191
B-2/8 Safdarjung Enclave , Delhi -110029
Tel 41650347, Fax no. 011-26191358 Email ID info@bagla-group.com, website.www.bagla-group.com
Statement of Audited Financial Results for the Year Ended and Quarter Ended as on 31 March, 2021 (Rs. in lacs)

	PARTICULARS	Quarter ended 31-03-21 Audited	Quarter ended 31-12-20 Unaudited	Quarter ended 31-03-20 Audited	Year Ended 31-03-21 Audited	Year Ended 31-03-20 Audited	% (Increase/Decrease)	
1	Total Income from operations (net)	7,728	5,180	3,217	22,033	15,872	38.82%	Increase in Sale
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	480	256	(28)	1,367	574	138.15%	Increase in Net Profit Before Tax
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	480	256	(28)	1,367	574	138.15%	
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	334	101	56	875	658	32.98%	Increase in Net Profit After Tax
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	334	101	56	875	658	32.98%	
6	Equity Share Capital	512	512	512	512	512		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of Previous Year)	-	-	-	-	-		
8	Earnings per share (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinued operations):							
	(a) Basic	6.52	1.97	1.09	17.09	12.85	32.98%	Increase in Earning Per Share
	(b) Diluted	6.52	1.97	1.09	17.09	12.85	32.98%	

Note :
1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 25.06.2021and the Statutory Auditor of the Company has issued their Limited Review Report on the same.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Metropolitan Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Metropolitan Stock Exchange website Stock Exchange websites, namely The Bombay Stock Exchange Limited - www.bseindia.com, The Calcutta Stock Exchange -www.cse-india.com and the Company's website-www.bagla-group.com.

For & on behalf of the Board
Hindustan Adhesives limited
Sd/- Amit Kumar, Director, DIN- 06902856
Sd/- M.S.Bagla, Managing Director, DIN- 01425646
Place : Delhi
Date : 25.06.2021

www.readwhere.com